न्यायालय भू अभिलेख अधिकारी(SDO), पिण्डवाडा

पीठासीन अधिकारी : हरिसिंह,आर.ए.एस.

1. श्री मोडसिह पुत्र श्री किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी रिछडी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
2. श्री नैनसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी रिछडी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
3. श्री लालसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी रिछडी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
4. श्री अर्जूनसिंह पुत्र श्री किशोरसिंह जाति राजपूत निवासी रिछडी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही .... प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री रामसिंह पुत्र जुटसिंह जाति राजपूत निवासी रिछडी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
2. श्री धर्मसिंह पुत्र जुटसिंह जाति राजपूत निवासी रिछडी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
3. श्री कालूसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति राजपूत निवासी रिछडी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
4. श्री महेन्द्रसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति राजपूत निवासी रिछडी तहसील पिण्डवाडा जिला सिरोही
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा .... अप्रार्थीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * पिण्डवाड़ा, जिला-सिरोही *

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 202 / 2017

उपस्थिति : –

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:44 IST
Reason: SelfAttested

1. श्री उमेश पटेल, प्रार्थी अधिवक्ता
2. श्री संजय अग्रवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4
3. श्री गोंगाराम मीणा पेरोकार सरकार अप्रार्थी संख्या 5

उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाड़ा
जिला-सिरोही

दिनांक : 28/5/2020

—: आदेश :—

...र्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते रास्ते बाबत् अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि मौजा रिछड़ी पटवार डुंगरी तहसील पिण्डवाड़ा की सरहद मे प्रार्थीगण की कृषिभूमि खसरा संख्या 23, 24 व 28 रकबा 20.14 बीघा एवं खसरा संख्या 25, 26, 33, 34, 35, 36, 43, 96, 97 रकबा 15 बीघा 05 बिस्वा भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा संख्या 23,24,28, व खसरा संख्या 25,26,33,34,35,36,43,96,97 के मध्य अप्राथी संख्या एक की खातेदारी कृषि आराजी खसरा संख्या 30 स्थित है। उक्त खसरा संख्या 30 की सार सम्भाल एवं उस पर काश्त अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 के द्वारा की जाती है। प्रार्थीगण की उक्त समस्त आराजी खसरा संख्या 25 रकबा 0.02 बीघा किस्म गैर मुमकीन कुआ से सिंचित होती है किन्तु खसरा संख्या 25 गैर मुमकीन कुए से खसरा संख्या 33 व अन्य खसरा नम्बरान की आराजी में सिंचाई हेतु पानी ले जाने के लिये अप्रार्थी संख्या एक का खसरा संख्या 30 बीच में आता है। प्रार्थीगण अपनी उक्त आराजी को सिंचित करवाने के लिये खसरा संख्या 25 गैर मुमकीन कुंआ से खसरा संख्या 33 व अन्य खसरा में भूमिगत पाईप लाईन सिंचाई हेतु बिछाना चाहते है जिस हेतु प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को निवेदन किया किन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थीगण को खसरा संख्या 30 के अन्दर से भूमिगत पाईपलाईन निकालने से साफ मना करा दिया। अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को खसरा संख्या 30 के अन्दर से भूमिगत पाईपलाईन नही निकालने दे रहे है एवं उसमें बाधा कारित कर रहे है। प्रार्थीगण को खसरा संख्या 33 में सिंचाई हेतु पाईप लाईन ले जाने हेतु अप्रार्थीगण के खसरा संख्या 30 अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा भूमिगत पाईप लाईन निकालने से अप्रार्थीगण की कृषि भूमि पर कोई प्रभाव नही पडेगा एवं न ही अप्रार्थीगण को किसी प्रकार की क्षति कारित होगी। संलग्न नजरी नक्श मे लाल रंग से दर्शाये अनुसार प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 30 में से उत्तर से दक्षिण नियमानुसार भूमिगत पाईप लाईन निकालना चाहते है जिसके अभाव में प्रार्थीगण की ज्यादातर भूमि सिंचाई से वंचित हो रही है जिससे प्रार्थीगण को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है एवं काफी असुविधा हो रही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को पाईप लाईन निकालने के आदेश प्रदान करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:44 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी पिण्डवाड़ा
जिला-सिरोही

...स्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 29.09.2017 दर्ज किया ...र्थी गणों को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की तामिली पर अप्रार्थी ...ख्या 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय अग्रवाल ने वकालतनामा पेश कर उपस्थिति दी। अप्रार्थी अधिवक्ता ने दिनांक 18.11.2020 को जवाब पेश किया अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपने जवाब में बताया कि पद संख्या 1 का कथन सही होने से स्वीकार है। ग्राम रिछडी तहसील पिण्डवाडा में अप्रार्थी संख्या 1 रामसिंह की कृषि आराजी खसरा संख्या 30 अवश्य स्थित है। पद संख्या 3 का गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण को अपनी भूमि खसरा संख्या 33 में सिंचाई हेतु पानी ले जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 की खसरा संख्या 30 वाली भूमि बीच में आने का कथन गलत होने से अस्वीकार है। सही स्थिति यह है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि के पूर्व दिशा में नदी तथा पश्चिम दिशा में करीब 20 फुट चौडा गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 29 व 56 में स्थित है जो रास्ता रिछडी गांव में से होता हुआ प्रार्थीगण के कुए तक जाता है तथा वर्षो से प्रार्थीगण इसी रास्ते से अपने खेतों में जा रहे है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण की भूमि से बिल्कुल सटते हुए है। पद संख्या 4 का कथन गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण को खसरा संख्या 25 से खसरा संख्या 33 तक पानी पहुचाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 30 में से भूमिगत पाईपलाईन निकालने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 28 से लगते हुए गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 29 स्थित है जो सीधे प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 33 तक जाता है। वर्तमान में प्रार्थीगण के कुए का पानी उक्त रास्ता भूमि में बनी हुई कच्ची वेल से होता हुआ खसरा संख्या 33 तक जा रहा है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता भूमि में भूमिगत पाईपलाईन बिछाने हेतु स्वतंत्र है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के लिए सुगम नजदीकी व उपयोगी है। प्रार्थीगण ने मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिए उनकी भूमि से पाईप लाईन निकालने की मांग की है जो गलत है। पद संख्या 5 गलत होने से अस्वीकार है प्रार्थीगण को पाईपलाईन बिछाने हेतु खसरा संख्या 30 के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नही होने का कथन गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी विशेष आपत्ति में बताया कि प्रार्थीगण ने सही तथ्यों को छिपाते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा मौके पर कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने का कथन किया है जबकि मौके पर गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 29 व 56 स्थित है जो पाईप लाईन बिछाने हेतु सुगम व नजदीक है। प्रार्थीगण ने मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिए उनकी भूमि से पाईपलाईन बिछाने का कथन किया

उपखण्ड अधिकारी पिण्डवाडा
जिला-सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:44 IST
Reason: SelfAttested

...की अप्रार्थीगण से कई वर्षों से बोलचाल नहीं है। प्रार्थना पत्र में ...सरकार को बतौर अप्रार्थी पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण प्रार्थीगण को ...दिन तक कानूनी रूप से तामीली नही हुई है तथा प्रश्नगत भूमि खसरा संख्या 30 अकेले अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारीज करने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 5 स्टेट की ओर से दिनांक 13.11.2020 को पेश किया। स्टेट ने अपने जवाब में बताया कि पदसंख्या 1 रेकर्ड के अनुसार सही है। प्रार्थी की सामलाती खातेदारी खसरा सं. 23,24,28,25,26,33,34,35,36,43 के बीच खसरा संख्या 30 स्थित है। प्रार्थी के कथन में उक्त आराजी खसरा नं 25 गै.मु. कुआ व 28 में खुदे हुए कुओं से सिंचित होती है। लेकिन खसरा नं. 33,34,35,36,43 में पानी सिंचाई हेतु ले जाने पर बीच में खसरा नं. 33 स्थित है एवं खसरा नं. 56 बिलानाम रास्ता भी खसरा नं. 33 के उत्तर दिशा में स्थित है अर्थात खसरा नं. 33 में प्रवेश से पहले खसरा संख्या 56 बिलानाम रास्ता में प्रवेश करना होगा। प्रार्थी के कथन में खसरा संख्या 33,34 वगैरह अन्य खसरा संख्या में सिंचाई करने के लिए खसरा संख्या 30 के अलावा अन्य सीधा रास्ता नहीं है। प्रार्थी को पाइपलाइन हेतु खसरा नं. 33, 34 में पहुंच के लिये खसरा नं. 56 बिलानाम रास्ता का विकल्प है लेकिन उक्त विकल्प सुविधा की दृष्टि से अधिक दूरी पर है। अर्थात प्रार्थी खसरा सं. 28 जो अपनी खातेदारी में इस खसरा नं. में पाईपलाईन डाली जा चुकी है। जिसे संलग्न नक्शे में मार्क ए किया है। इससे खसरा नं. 56 बी–सी मार्क किया व खसरा नं. 30 डी–डी मार्क किया है इस अनुरूप पाईपलाईन निकालने पर मौके अनुसार कम दूरी होती है। जो ज्यादा उपयुक्त है। एवं भूमिगत पाइपलाइन से किसी प्रकार की क्षति भी नहीं होगी। प्रार्थी द्वारा संलग्न नक्शे में पाईपलाईन खसरा नं. 25,26,27,29,56 में प्रस्तावित की गई है। लेकिन मौके अनुसार प्रार्थी द्वारा खसरा संख्या 25,26 व 28 में पाईपलाईन डाली जा चुकी है। खसरा 28 से 56 व 30 में से होकर खसरा संख्या 33,34 मे ले जाना चाहते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में बिलानाम खसरा नं. 27,29,56 का कही उल्लेख नही किया गया है। अर्थात् खसरा न. 30 में पाईपलाईन बिछाने से पहले बिलानाम खसरा नम्बर में से गुजरना होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:44 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में दिनांक 24.11.2020 को अंतिम बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि खसरा संख्या 25 गैर मुमकीन कुएं से खसरा संख्या 33 व अन्य खसरा नम्बरान की आराजी में सिंचाई हेतु पानी ले जाने के लिये अप्रार्थी संख्या एक का खसरा संख्या 30 बीच में आता है। जो कि पाईपलाईन ले

...म दूरी का होगा। जिससे पाईप के फटने की समस्या उत्पन्न नही ...व ही पानी का प्रेशर भी कम नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ...वे। प्रतिउत्तर में अप्रार्थी अधिवक्ता ने बताया कि प्रार्थीगण को खसरा संख्या 25 से खसरा संख्या 33 तक पानी पहुचाने के लिए अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 30 में से भूमिगत पाईपलाईन निकालने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 28 से लगते हुए गैर मुमकिन रास्ता खसरा संख्या 29 स्थित है जो सीधे प्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 33 तक जाता है। वर्तमान में प्रार्थीगण के कुए का पानी उक्त रास्ता भूमि में बनी हुई कच्ची वेल से होता हुआ खसरा संख्या 33 तक जा रहा है। प्रार्थीगण उक्त रास्ता भूमि में भूमिगत पाईपलाईन बिछाने हेतु स्वतंत्र है। उक्त रास्ता प्रार्थीगण के लिए सुगम नजदीकी व उपयोगी है। प्रार्थीगण ने मात्र अप्रार्थीगण को हैरान परेशान करने के लिए उनकी भूमि से पाईप लाईन निकालने की मांग की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज करने योग्य है। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार पाईपलाईन डालने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है।

—: क्रियान्वित आदेश :—

पत्रावली के अवलोकन तथा प्रार्थी / अप्रार्थी अधिवक्ता, की बहस एवं तहसीलदार रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी को पाईपलाईन डालने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने एवं आत्यांतिक आवश्यकता नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

(हरिसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भू अभिलेख अधिकारी (SDO)
पिण्डवाडा (सिरोही)
पिण्डवाडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Singh
Date: 2021.01.21 10:37:44 IST
Reason: SelfAttested

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर दिनांक ... को हस्ताक्षर किये जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरिसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
भू अभिलेख अधिकारी (SDO)
पिण्डवाडा (सिरोही)
पिण्डवाडा